अध्याय 4

राज्य सरकार के विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

4. उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

आज के परिवेश में समाज मे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कई बार लम्बाई, भार एवं आयतन की माप से प्रभावित रहता है। अतः शासन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके पास एक मजबूत प्रणाली हो जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष उसे उचित मात्रा में सामग्री प्राप्त हो सके।

कार्यकारी सार

उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग की मुख्य नियंत्रक आधारित लेखापरीक्षा में बाट एवं माप के मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत बाटों एव मापों के अनुदेशन हेतु प्राप्त अधिदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007–12 की अवधि को आच्छादित करते हुए विभाग की क्रिया–कलापों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जाँच अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के मध्य की गयी। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार निम्नवत् है:

- विभाग की प्रवर्तन के क्रिया–कलापों का प्रभाव सीमित था क्योंकि विभाग के पास राज्य में बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का कोई डेटाबेस नहीं था। नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते समय अनुपालन हेतु विभाग ने निर्देशों का कोई मैनुअल भी नहीं बनाया था। *विभाग को उपयोगकर्त्ताओं के समुचित सर्वेक्षण के आधार पर बाटों एवं मापों का प्रयोग करने वाले व्यापारिक संस्थानों का एक डेटाबेस बनाना चाहिए जिससे कि उनके प्रभावी अनुश्रवण एवं प्रर्वतन हेतु एक कार्य योजना बनायी जा सके।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.1]

- सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक के स्वीकृत पदों का क्रमशः लगभग 29 से 50 प्रतिशत तथा 18 से 36 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग के अनुरोध पर प्रतिक्रिया न देने के कारण रिक्त पड़े थे (2007–12)। *विभाग द्वारा पदों के अनुकूलतम स्थिति तक भरे जाने हेतु प्रयास जारी रखना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.2.1]

- केन्द्रों के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र एवं जनसंख्या में समानता लाने के उद्देश्य से केन्द्र स्थापना हेतु विभाग द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। जैसा कि सहायक नियंत्रक, झाँसी के अधीन औसत जनसंख्या 8.78 लाख थी जबकि सहायक नियंत्रक, गोरखपुर के अधीन औसत जनसंख्या 22.77 लाख थी। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता (₹ 7.44 करोड़) के उपभोग हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। *विभाग द्वारा केन्द्र/प्रयोगशाला आदि का मजबूत ढाँचा विकसित किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त केन्द्र की स्थापना हेतु मानक भी विकसित किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.3]

- कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रवर्तन में कमियाँ विभाग स्तर पर *पर्याप्त एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की जानी चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.4]

- रिक्त पदों के वेतन–भत्तों हेतु ₹ 5.41 करोड़ की धनराशि का आबंटन वर्ष 2007–12 की अवधि में वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर समर्पित की गयी थी, इसके अतिरिक्त, करेत्तर राजस्व के रोकड़–प्रबन्धन में कमी थी। *शासकीय निधि के प्रबंधन मे वित्तीय नियमों का पूर्णरुपेण पालन किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.1.1 एवं 4.6.1.2]

- नमूना–जाँच में लिये गये 42 केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के अधीन कुल 1.29 लाख उपयोगकर्ताओं ने वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 की अवधि में अपने बाट मापों को सत्यापन हेतु निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरुप ₹ 1.51 करोड़ की शुल्क की वसूली नहीं हुयी। इसके अतिरिक्त, अमानक बाट माप के उपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। *विभाग द्वारा सत्यापन हेतु त्रुटिविहीन प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.2.2]

- निरीक्षकों/वरिष्ठ निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2011–12 में किये गये निरीक्षणों की संख्या में वर्ष 2007–08 की तुलना में 69 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 की तुलना में 32 प्रतिशत की गिरावट थी। इसके अतिरिक्त, निरीक्षकों/वरिष्ठ निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों की गलत सूचना प्रेषित किये जाने पर नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा तथ्य को प्रकाश में लाये जाने के चार वर्ष पश्चात् भी निरीक्षणों (2007–12) से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं पाये गये। *निरीक्षण हेतु निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.2.3]

- न्यायालय में बड़ी संस्था में प्रकरण निर्णय हेतु लम्बित थे। नमूना–जाँच में लिये गये केन्द्रों पर न्यायालय प्रकरण पंजिका के अनुचित रख–रखाव के फलस्वरुप प्रकरणों की अवधिवार लम्बित होने की सूचना उपलब्ध नहीं थी। *विभाग द्वारा बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.2.4]

4.1 प्रस्तावना

विभाग का लक्ष्य अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रवर्तन द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की घटतौली या कम मापन जैसे कदाचार से सुरक्षा करना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता द्वारा जो धनराशि व्यय की जाती है उसके सापेक्ष उन्हें उचित मात्रा में सामग्री प्राप्त हो। विभाग का मुख्य कार्य व्यापार एवं औद्योगिक उत्पादन में उपयोग किये जा रहे बाट, माप एवं मापन यन्त्रों का सत्यापन एवं मुद्रांकन करना है। विभाग द्वारा आवर्ती निरीक्षण करना, डिब्बाबन्द वस्तुओं के निर्माता एवं डिब्बाबन्द करने वालों को पंजीकृत करना, डिब्बाबन्द वस्तु नियम 1977 एवं 2011 का अनुपालन न किये जाने पर कार्यवाही करना तथा अधिनियम, 1985 एवं 2009 और नियम 1990 एवं 2011 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ अमानक

बाट, माप एवं मापन यन्त्र का उपयोग, घटतौली वाले प्रकरणों में जब्ती तथा प्रशमन करना एवं प्रशमन न कराने वालों को न्यायालय में पंजीकृत कराना है।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने बाट एवं माप मानक (प्रर्वतन) अधिनियम, 1985 का नियमन किया तथा इसे राज्य सरकार ने राज्य मे जनवरी 1990 से लागू किया। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त किया और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का नियमन किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रर्वतन) नियम 2011 बनाया गया जिसमे बाटों एवं मापों के सत्यापन का समय ढांचा (नियम 14), बनाये जाने वाली पंजिकाओं एवं अभिलेखों (नियम 13) आदि का विवरण है।

4.2 संगठनात्मक ढाँचा

उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

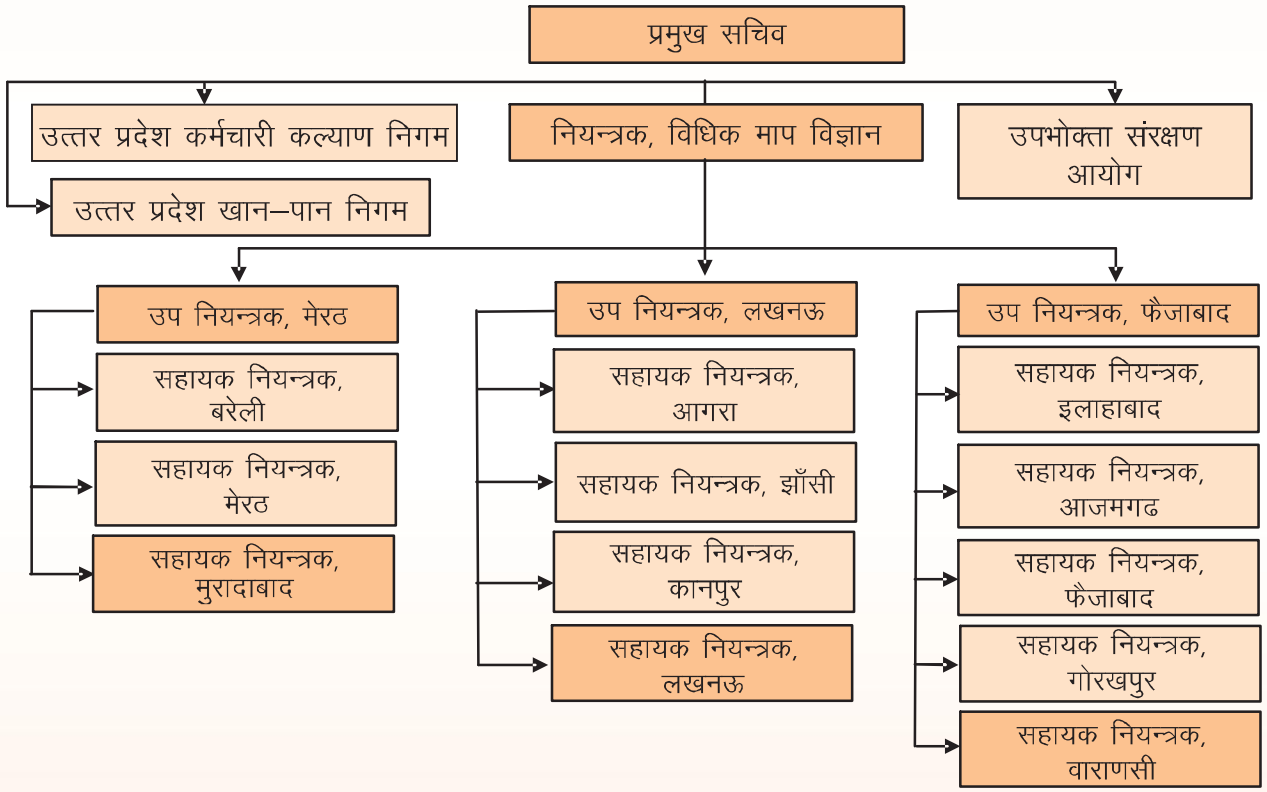

(**स्रोतः** नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

अप्रैल 2008 तक शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग का विधिक माप विज्ञान पर नियन्त्रण था। मई 2008 से विधिक माप विज्ञान प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के नियन्त्रणाधीन हो गया।

नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (नियंत्रक) जो अधिनियमों एवं नियमों के प्रवर्तन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी हैं विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष हैं। इनकी सहायता के लिये जोन स्तर पर तीन उप नियन्त्रक, खण्डीय स्तर पर

12 सहायक नियन्त्रक एवं केन्द्र स्तर पर निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक है (सभी सत्यापन एवं निरीक्षण द्वारा प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी)। उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक अपने नियन्त्रणाधीन जिलों के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं।

4.3 लेखापरीक्षा का ढाँचा

4.3.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्या :

- वार्षिक एवं संदर्श योजना तैयार करने हेतु डेटाबेस बनाये जाने के लिये कुशल एवं प्रभावी आवर्ती सर्वेक्षण किया गया था;
- विभाग अनुज्ञप्ति, शोधन, सत्यापन, मुद्रांकन तथा प्रवर्तन के अधिदेश को क्रियान्वित करने हेतु मानव, वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों जैसे आवश्यक संस्थागत् साधनों से परिपूर्ण किया गया था;
- कुशल एवं प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण कार्यरत् था तथा आवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा रहा था; और
- विभाग का वित्तीय प्रबन्धन कुशल, मितव्ययी एवं प्रभावी था तथा प्रचलित वित्तीय कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों इत्यादि के अनुरूप भी था।

4.3.2 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में प्रयुक्त मापदण्ड के निम्नलिखित स्रोत थेः

- बाट एवं माप का मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (अधिनियम 1985);
- बाट एवं माप का मानक (सामान्य) नियमावली, 1987 (सामान्य नियम 1987);
- उत्तर प्रदेश बाट एवं माप का मानक (प्रवर्तन) नियमावली, 1990 (प्रवर्तन नियम 1990);
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम 2009);
- उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 (प्रवर्तन नियम 2011);
- विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011, और
- समय–समय पर निर्गत शासन के आदेश एवं निर्देश।

4.3.3 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

अप्रैल से जुलाई 2011 की अवधि में शासन, विभाग, जोन, खण्ड एवं जिला स्तर पर क्रमशः प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग, नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश (नियंत्रक), सभी तीन[1] उप नियन्त्रक, तीन सहायक नियन्त्रक एवं उनके नियन्त्रणाधीन समस्त 42 केन्द्रों के वर्ष 2007–12 की अवधि के अभिलेखों की

[1]लखनऊ, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

जाँच की गयी। लेखापरीक्षा में पाये गये तथ्यों के समर्थन में संयुक्त भौतिक सत्यापन[2] से साक्ष्य संकलित किये गये एवं फोटो भी लिये गये।

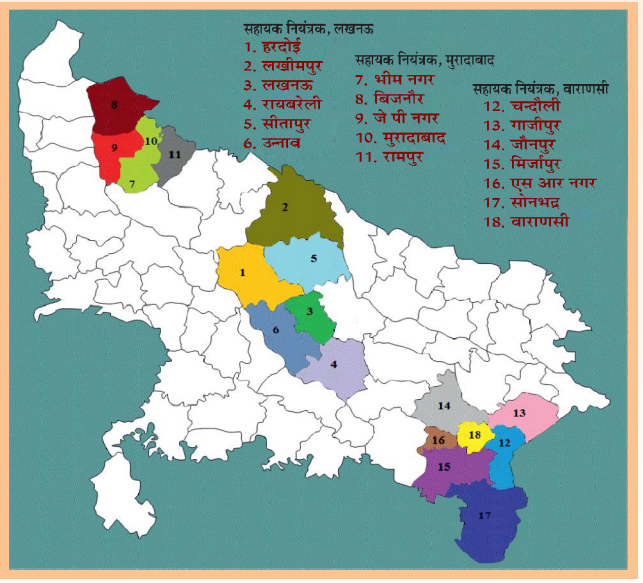

लेखापरीक्षा प्रतिदर्श/ सैम्पल में नियन्त्रक, सभी तीन उप नियन्त्रक, 12 मे से तीन सहायक नियन्त्रक तथा उनके अधीन 18 जिलों को आच्छादित करते हुए सभी 42 केन्द्रों को सम्मिलित किया गया। प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के साथ एक परिचयात्मक गोष्ठी दिनांक 8 जून 2012 को आयोजित हुई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्डों, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर विचार–विमर्श किया गया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त (दिसम्बर 2012) हुआ तथा सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के साथ दिनांक 26 फरवरी 2013 को समापन गोष्ठी भी आयोजित की गयी थी। गोष्ठी में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर विचार–विमर्श किया गया था एवं संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

4.4 अभिस्वीकृति

राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि में किये गये सहयोग को साभार स्वीकार किया जाता है।

4.5 संस्थागत् कमजोरियाँ

प्रत्येक संगठन को अपने अधिदेश को प्रबन्धित एवं प्राप्त करने के लिये एक स्वस्थ आधारभूत संरचना, पर्याप्त मानवशक्ति एवं निधि की आवश्यकता होती है। यह इसकी गतिविधियों के मूल क्षेत्रों में समुचित आन्तरिक तन्त्र एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने में सहायता करता है तथा संगठन को उसके उद्देश्यों की ओर मितव्ययी एवं प्रभावी ढंग से अग्रसर करता है। उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी पर आधारित लेखापरीक्षा के समय संस्थागत् कमियों पर संज्ञान में आये कुछ लेखापरीक्षा बिन्दु निम्नवत् हैं:

4.5.1 नियोजन

प्रवर्तन गतिविधियों हेतु संदर्भ योजना नही बनायी गयी।

अधिनियमों एवं नियमों को कुशलता एवं प्रभावी रूप से लागू करने हेतु यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि विभाग के पास राज्य में बाट माप के प्रयोगकर्ताओं की वर्गवार पूरी सूचना उपलब्ध हो। इस उद्देश्य के लिये, विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगकर्ताओं का डेटाबेस बनाने हेतु आवर्ती सर्वेक्षण कराना चाहिये जो कि प्रयोगकर्ताओं के चिन्हीकरण, प्रयोग किये जा रहे बाट माप के प्रकार, बाट माप के सत्यापन की आवृत्ति एवं उनका शोधन, वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण

[2]प्रत्येक जिले के 5 धर्मकाटा, 5 उचित दर की दुकान, 5 ज्वेलरी दुकान एवं 5 सामान्य किराना व्यवसायी

तथा समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा बाट माप के उपयोगकर्त्ताओं के परिसर में जाकर निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाने हेतु सार्थक संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना के लिये आवश्यक है।

विभाग ने लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाट माप के उपयोगकर्ताओं के चिन्हीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं कराया था तथा उनका कोई डेटाबेस भी नहीं बनाया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अपने अस्तित्व में आने (मई 2008) से अब तक अपनी अधिदेशित क्रिया–कलापों के प्रवर्तन हेतु संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। पुनः, यह भी पाया गया कि विभाग अपना विभागीय प्रतिवेदन अपने गठन के चार वर्ष बाद भी खाद्य एवं रसद विभाग के साथ ही (2011–12 तक) बनाता रहा।

उत्तर में शासन ने यह पुष्टि की (दिसम्बर 2012) कि विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा बाट माप के उपयोगकर्ताओं का कोई डेटाबेस भी नहीं बनाया गया था। क्योंकि यह शासन की लाइसेन्स राज समाप्त करने की नीति के विरूद्ध था। शासन ने पुनः बताया कि कोई संदर्श योजना नही बनायी गयी थी फिर भी नियमो के अन्तर्गत अधिक से अधिक सत्यापन, मुद्रांकन एवं प्रवर्तन गतिविधियों पर जोर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि शासन द्वारा उल्लिखित नीति केवल उद्योगों के लिये थी एवं बाट माप के उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं थी। इससे यह भी पुष्टि होती है कि डेटाबेस, संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना के अभाव में विभाग अधिनियम एवं नियमों को प्रभावी ढंग से प्रवर्तित करने में विफल रहा।

परिणामस्वरुप बाट एवं माप के सत्यापन, करेत्तर राजस्व की वसूली इत्यादि के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियत न्यूनतम मानदण्ड को तदर्थ रूप में निर्धारित किया गया था। जैसा कि प्रस्तर 4.6.1.2 एवं 4.6.2.2 में चर्चा किया गया है।

4.5.2 मानव संसाधन

4.5.2.1 अपर्याप्त मानवशक्ति

सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक संवर्ग में कमी थी।

राज्य में बाट एवं माप अधिनियमों/नियमों के प्रवर्तन के लिये सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं जिससे यदि कोई कदाचार हो तो उसे पता लगाया जा सके तथा गलती करने वाले उपयोगकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त पदों की संवर्गवार स्वीकृत पद, कार्यरत एवं कमियों का विवरण **सारणी 1** में दिया गया है।

सारणी 1: संवर्गवार स्वीकृत पद, कार्यरत एवं कमियों का विवरण

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत (कैलेण्डर वर्ष)					कमी (कैलेण्डर वर्ष)				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
सहायक नियन्त्रक	14	10	08	09	09	07	04	06	05	05	07
वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक	236	193	182	166	166	151	43	54	70	70	85

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

सारणी इस ओर इंगित करती है कि लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि में सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक संवर्ग के पदों में कमी थी। इसके साथ ही नमूना जाँच में लिये गये 42 में से आठ[3] केन्द्रों/प्रयोगशालाओं में लम्बे समय से कोई भी वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक तैनात नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि सीधी भर्ती हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है तथा रिक्त सम्भागों का कार्य समीप में तैनात सहायक नियन्त्रक से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कराया जा रहा था। शासन द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि विभिन्न संवर्गो में कमियों के फलस्वरूप विभागीय कार्य प्रभावित हुए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, नमूना–जाँच किये गये सहायक नियन्त्रकों के कार्यालयों में सहायक कर्मचारियों (तकनीकी/गैर–तकनीकी) की कमी थी। जैसाकि लिपिकों, प्रयोगशाला सहायकों इत्यादि के 152 स्वीकृत पदों[4] के सापेक्ष मात्र 138 (14 कम) तैनात थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रों/प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पद के सापेक्ष उनकी तैनाती भी अविवेकपूर्ण ढंग से कहीं अधिक (एक से लेकर सात तक) तो कहीं कम (एक से लेकर चार तक) की गयी थी। सहायक कर्मचारियों की कमी एवं उनकी तैनाती के साथ स्वीकृत पद का विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है।

परिणामस्वरुप, उपयोगकर्ता पंजिकाएं, न्यायालय प्रकरण पंजिकाएँ, निरीक्षण पंजिकाएँ, जब्त वस्तु पंजिकाएँ एवं मृत भण्डार पंजिकाएँ आदि जैसे मौलिक अभिलेख या तो बनाये नहीं गये थे या अधूरे थे। विभाग को पदों के अनुकूलतम स्थिति तक भरे जाने हेतु प्रयास जारी रखने चाहिये।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है जिससे विभागीय कार्य कुप्रभावित होता है।

4.5.3 अपर्याप्त ढाँचागत सुविधायें

केन्द्र/प्रयोगशालाएँ विभाग के आधारभूत स्तम्भ हैं जहाँ बाट एवं माप आदि का शोधन/मुद्रांकन/सत्यापन किया जाता है। केन्द्रों के अधिकार में आने वाले क्षेत्र एवं जनसंख्या में समरूपता हेतु तथा उपयोगकर्ताओं की संख्या में तथ्यपरक वृद्धि के कारण नये केन्द्रों के बनाये जाने की संभावना तलाशने हेतु उनकी स्थापना के लिए कुछ विशिष्ट मानक होना चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये:

केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के लिए कोई मानक नहीं।

वर्ष 2007–12 की अवधि में राज्य में कुल 146 केन्द्र/प्रयोगशालाएँ थीं तथा इस अवधि में कोई नया केन्द्र नहीं स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने इन केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, जनसंख्या इत्यादि का कोई मानक नियत नहीं किया था (दिसम्बर 2012)। परिणामस्वरूप, 12 सहायक नियन्त्रकों के नियन्त्रणाधीन इन 146 केन्द्रों/प्रयोगशालाओं द्वारा सेवित जनसंख्या के आकार में व्यापक भिन्नता थी जैसा कि **सारणी 2** से परिलक्षित है। जहाँ सहायक नियन्त्रक, झाँसी के क्षेत्राधिकार वाले प्रत्येक केन्द्र/प्रयोगशालाएं द्वारा सेवित औसत जनसंख्या 8.78 लाख थी जबकि सहायक नियन्त्रक, गोरखपुर में इनके द्वारा सेवित जनसंख्या 22.77 लाख थी।

---

[3]सहायक नियन्त्रक, लखनऊः मलिहाबाद एवं मोहनलालगंज, सहायक नियन्त्रक, मुरादाबादः अमरोहा, चॉदपुर, नगीना एवं सम्भल तथा सहायक नियन्त्रक, वाराणसीः जमनिया एवं मछलीशहर)।

[4]तीन सहायक नियन्त्रक एवं 42 में से 30 केन्द्रों।

सारणी 2: केन्द्रों द्वारा सेवित औसत जनसंख्या में भिन्नताएँ

आहरण वितरण अधिकारी	जनसंख्या	केन्द्रों की संख्या	औसत जनसंख्या प्रति केन्द्र	आहरण वितरण अधिकारी	जनसंख्या	केन्द्रों की संख्या	औसत जनसंख्या प्रति केन्द्र
आगरा	1,97,05,477	15	13,13,698	झाँसी	96,59,718	11	8,78,156
इलाहाबाद	1,33,63,143	09	14,84,794	कानपुर	1,28,65,072	11	11,69,552
आजमगढ	1,00,45,321	07	14,35,046	लखनऊ	2,36,82,514	16	14,80,157
बरेली	1,32,17,683	11	12,01,608	मेरठ	2,21,87,067	18	12,32,615
फैजाबाद	2,20,89,309	13	16,99,178	मुरादाबाद	1,26,31,203	12	10,52,600
गोरखपुर	2,04,89,916	09	22,76,657	वाराणसी	1,96,45,054	14	14,03,218

(स्रोतः नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान,उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेख एवं जनगणना–2011)

उत्तर में शासन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि केन्द्रों की स्थापना हेतु मानक नियत नही किये गये थे। केन्द्रों/प्रयोगशालाओं द्वारा सेवित जनसंख्या के आकार में विसंगति के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अपर्याप्त ढाँचागत सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमिततायें भी प्रकाश में आयीं:

ढाँचागत संरचना के सुदृढीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही।

- भारत सरकार ने केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यकारी मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण (13 प्रयोगशाला; ₹ 3.25 करोड़) एवं द्वितीयक मानक प्रयोगशाला (5 प्रयोगशाला; ₹ 1.25 करोड़), टैंक लारी की जाँच के लिए शोधन टावर (14 लारी; ₹ 2.24 करोड़) तथा टैक्सी मीटर की जाँच हेतु टैक्सी मीटर इकाई (14 टैक्सी मीटर; ₹ 70 लाख) की स्थापना हेतु वर्ष 2010–11 (₹ 1.70 करोड़) तथा वर्ष 2011–12 (₹ 5.74 करोड़) में कुल ₹ 7.44 करोड़ उपभोग की समय सीमा निर्धारित किये बिना ही अवमुक्त कर दिया।

अभिलेखों की जाँच से यह परिलक्षित हुआ कि ₹ 7.44 करोड़ में से ₹ 1.48 करोड़ (भवनः ₹ 1.20 करोड़ एवं शोधन टावरः ₹ 0.28 करोड) को व्यवर्तित कर दिया गया था एवं पाँच जिलों (आगराः ₹ 17.80 लाख में 120 वर्गमीटर, गोरखपुरः ₹ 21 लाख में 200 वर्गमीटर, मेरठः ₹ 36.30 लाख में 202.50 वर्गमीटर, मुरादाबादः ₹ 17.29 लाख में 129 वर्गमीटर एवं वाराणसीः ₹ 55.20 लाख में 300 वर्गमीटर) में भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय में उपयोग कर लिया गया। अवशेष ₹ 5.96 करोड़ का दिसम्बर 2012 तक उपभोग नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन ने स्वीकार (दिसम्बर 2012) किया कि ₹ 1.48 करोड़ प्राप्त कर लिया गया था तथा आगरा, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी में भूमि क्रय कर ली गयी है। भवन निर्माण (₹ 3.30 करोड़) शोधन टावर (₹ 1.96 करोड़) एवं टैक्सी मीटर (₹ 0.70 करोड़) की स्थापना से सम्बन्धित अवशेष ₹ 5.96 करोड़ के सम्बन्ध में दिसम्बर 2012 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।

चालकों की अनुपलब्धता से तीन मोबाइल किट निष्क्रिय थीं।

- भारत सरकार ने धर्मकाँटाओं की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को चार मोबाइल किट (लागतः ₹ 2.30 करोड़) उपलब्ध कराये (मार्च 2008: दो एवं जुलाई 2010: दो)। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सहायक नियन्त्रकों, कानपुर (जुलाई 2010), लखनऊ (मार्च 2008), मेरठ (मार्च 2008) एवं वाराणसी (जुलाई 2010) को आबंटित कर दिया गया। तथापि, अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि सहायक नियन्त्रक, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी मोबाइल किट प्रयोग में थी तथा शेष तीनों मोबाइल किटें अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं (जून 2012)।

वाराणसी में निष्क्रिय मोबाइल किट वैन

शासन ने यह अवगत कराया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 5000 प्रति माह के मानदेय पर संविदा के आधार पर चालक उपलब्ध नहीं थे तथा भर्ती पर रोक के कारण इन मोबाइल किट वैन को चलाने के लिए चालकों की नियुक्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी। वस्तुतः स्थिति यह थी कि ये किटें विगत दो से चार वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थीं एवं इनके प्राकृतिक क्षय/अवमूल्यन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कमियाँ यह दर्शाती हैं कि विभाग विभागीय ढाँचागत आवश्यकताओं के प्रति अप्रतिक्रियाशील था।

- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विभाग में बुनियादी स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन/निरीक्षण हेतु वाहनों के रूप में पर्याप्त आवागमन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध वाहनों की संख्या **सारणी 3** में दी गयी है।

सारणी 3: विभिन्न स्तरों पर वाहनों की उपलब्धता

संवर्ग/केन्द्र	कार्यालय	उपलब्ध वाहनों की संख्या
नियन्त्रक	01	05
उप नियन्त्रक	03	शून्य
सहायक नियन्त्रक	12	10
केन्द्र	146	शून्य

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा प्रवर्तन क्रिया–कलापों के लिए केन्द्रों को कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया था। तथापि, दो सहायक नियन्त्रकों (झाँसी एवं मुरादाबाद) तथा सभी तीनो उप नियन्त्रकों के पास वाहन नहीं थे। इस प्रकार, विभाग केन्द्र स्तर पर बुनियादी कार्यकर्ताओं, जो सीधे प्रवर्तन क्रिया–कलापों हेतु उत्तरदायी थे, को वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहा।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (दिसम्बर 2012)।

4.5.4 आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक नियन्त्रण संगठनात्मक प्रबन्ध प्रक्रिया का एक अभिन्न घटक है जो यह आश्वासन देता है कि संगठन के क्रिया–कलापों का संचालन, दक्षता एवं प्रभावशाली

ढंग से किया जा रहा हैं, वित्तीय प्रतिवेदन एवं प्रक्रियात्मक आँकड़ें विश्वसनीय हैं तथा विधि एवं विनियमन का अनुपालन इस प्रकार है कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। भारत सरकार ने शासकीय विभागों में आन्तरिक नियन्त्रण के अनुरक्षण पर मानक/निर्देश सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 64 के अन्तर्गत प्रावधानित किये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण शाखा की स्थापना एवं उसकी प्रभावी क्रियाशीलता विभाग की आवश्यकता है। नियन्त्रक, सहायक नियन्त्रकों एवं 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच में उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण की प्रभावहीनता परिलक्षित हुई जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

4.5.4.1 विभागीय मैनुअल का न बनाया जाना

अधिनियमों एवं नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते समय अनुपालन हेतु कार्य परिभाषित करने, सामान्य सिद्धांत, निर्देश एवं विधि स्थापित करने वाला एक विभागीय मैनुअल अति आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (अप्रैल से जुलाई 2012) कि विभाग ने विभिन्न स्तरों पर विभागीय गतिविधियों के संचालन हेतु कोई निर्देशों का मैनुअल नहीं बनाया था।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि मैनुअल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधिक माप विज्ञान नियमावली स्थापित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए मैनुअल अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।

4.5.4.2 सहायक नियन्त्रकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

नियन्त्रक, विधिक माप एवं विज्ञान, लखनऊ ने सहायक नियन्त्रकों को उनके नियन्त्रणाधीन केन्द्रों के नियमित निरीक्षण हेतु एक रोस्टर बनाये जाने के लिए निर्देश निर्गत किया (मई 2008) था। नियन्त्रक ने सहायक नियन्त्रक द्वारा किये गये निरीक्षणों के रोस्टर को नियन्त्रक/उप नियन्त्रक (मुख्यालय) एवं सम्बन्धित उप नियन्त्रकों को प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सहायक नियन्त्रकों द्वारा न तो रोस्टर बनाया गया था और न ही नियमित निरीक्षण किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, 146 केन्द्रों में से 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच में यह भी परिलक्षित हुआ कि छः[5] केन्द्रों का वर्ष 2007–12 की अवधि में सहायक नियन्त्रकों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। सात[6] केन्द्रों का तीन वर्ष से अधिक समय तथा शेष 29 में से 19 केन्द्रों का एक वर्ष से अधिक समय से कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, केन्द्रों का अपर्याप्त निरीक्षण, अपर्याप्त अनुश्रवण दर्शाता है।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2012) कि इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये (मई 2008) थे तथा रोस्टर पंजिका वर्ष 2013 से बनाया जायेगा।

[5]बिस्वां, हरदोई, मोहनलालगंज,पलिया, पूर्वा एवं जमनिया।
[6]चुनार, दुद्धी, मछलीशहर, मिर्जापुर, संडीला, यूसुफपुर एवं जमनिया।

4.5.4.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग ने समस्त विभाग प्रमुखों को विभाग की कम से कम 10 प्रतिशत इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा उनके आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किया (जनवरी 2001) था। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की अनुपस्थिति में विभाग में कार्यरत लेखा कर्मचारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करायी जानी थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभाग में न तो कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा थी और न ही विभाग में कार्यरत लेखा कर्मचारियों द्वारा अपने गठन (मई 2008) से अब तक आंतरिक लेखापरीक्षा करायी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति में प्रमुख अभिलेखों एवं पंजिकाओं जैसे शिकायत प्रकरण पंजिकाओं एवं भविष्य निधि खाते की ब्राडशीट के रख–रखाव न किये जाने, रोकड़ बही के अनियमित रख–रखाव, डेड स्टॉक एवं जब्ती वस्तुओं का भौतिक सत्यापन तथा अप्रयुक्त मुद्राओं के समर्पित न किये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में कोई निगरानी नहीं थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और यह बताया कि लेखा संवर्ग के विभागीय कर्मचारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये (नवम्बर 2012) हैं।

4.5.4.4 अपर्याप्त अनुश्रवण

प्रभावी अनुश्रवण विभाग की अनुदेशित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल मापदण्ड है। इस प्रयोजन से विभिन्न स्तरो पर की जा रही विभागीय क्रिया–कलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए नियन्त्रक, उप नियन्त्रक एवं सहायक नियन्त्रक स्तर पर मासिक बैठकें आहूत करने हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रत्येक स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित नहीं की जा रही थी जैसा कि **सारणी 4** से स्पष्ट है।

सारणी 4: विभिन्न स्तर पर आयोजित मासिक बैठक

स्तर	वर्ष				
	मानक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियन्त्रक	12	08	11	08	11
उप नियन्त्रक, फैजाबाद	12	07	11	11	07
उप नियन्त्रक, मेरठ	12	11	07	01	शून्य
उप/सहायक नियन्त्रक, लखनऊ	12	09	10	09	08
सहायक नियन्त्रक, मुरादाबाद	12	08	10	12	01
सहायक नियन्त्रक, वाराणसी	12	09	04	01	04

(**स्रोतः** नियन्त्रक, उप नियन्त्रक एवं सहायक नियन्त्रक)

सारणी से यह देखा जा सकता है कि विभाग, जोन एवं संभाग स्तर पर अनुश्रवण का अभाव था। इसके साथ ही उप नियन्त्रक, मेरठ के प्रकरण में पिछली बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण भी नही किया गया था। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण अपर्याप्त था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों का स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) तथा यह बताया कि इस सम्बंध मे निर्देश निर्गत कर दिये गये (अगस्त 2012) है।

4.5.4.5 उड़न दस्ता का अक्रियाशील रहना

प्रवर्तन क्रिया–कलापों में तीव्रता देने के लिए बाट एवं माप पर उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा अपराध का पता लगाने के उद्देश्य से विभाग ने नौ[7] सम्भागों में उड़न दस्ते संस्थापित किया।

नियन्त्रक, विधिक माप एवं विज्ञान, तीन उप नियन्त्रक[8] एवं तीन सहायक नियन्त्रक[9] के अभिलेखों की जाँच में यह परिलक्षित हुआ कि उड़न दस्ता क्रियाशील नहीं था क्योंकि समीक्षा की अवधि मे कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि कर्मचारियों एवं वाहन के अभाव के कारण उड़न दस्ता क्रियाशील नहीं था।

इस प्रकार विभाग प्रत्येक व्यापारिक गतिविधियों में मानक बाट एवं माप क्रियान्वित करने हेतु द्वितीयक जाँच को लागू करने में असफल रहा।

4.5.4.6 मूल्यांकन

विभाग को अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के प्रभाव तथा क्रियान्वयन तन्त्र की दक्षता, प्रभाव एवं कुशलता का मूल्यांकन करना चाहिये। नियोजन, निष्पादन, प्रवर्तन एवं अनुश्रवण पहलुओं की पर्याप्तता की जाँच तथा इसके प्रभाव को बेहतर बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उपभोक्ता हितों के संदर्भ में अधिनियमों एवं नियमों के उद्देश्यों की कुशलता एवं प्रभाव के आंकलन के लिए कोई ऐसा मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु कार्यरत् है तथा विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार हेतु क्रिया–कलापों का मूल्यांकन आवश्यक था।

4.6 अनुपालन विषय

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि किया गया व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं कपट को रोकता है अपितु उचित वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन न किये जाने पर कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

4.6.1 वित्तीय नियन्त्रण

4.6.1.1 आबंटन एवं व्यय

विभाग की अधिदेशित गतिविधियाँ राज्य बजट के अन्तर्गत अनुदान संख्या 21 के पूंजीगत् एवं राजस्व लेखे में उपलब्ध करायी गयी निधि से सम्पादित की जाती है।

[7]जुलाई 1979 में लखनऊ एवं कानपुर, सितम्बर 1985 में मेरठ, फरवरी 1986 में वाराणसी तथा फरवरी 1988 में आगरा, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर एवं झाँसी।
[8]फैजाबाद, लखनऊ एवं मेरठ।
[9]लखनऊ, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

भारत सरकार की अनुदान सहायता भी राज्य सरकार के बजट के माध्यम से दी जाती है।

वर्ष 2007–12 की अवधि में शासन ने नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान को पूँजीगत् एवं राजस्व लेखा शीर्ष मे ₹ 93.06 करोड़ का बजट प्रावधान तथा ₹ 92.41 करोड़ का आबंटन किया जिसके सापेक्ष ₹ 5.41 करोड़ की कुल बचत करते हुए बाट एवं माप को नियन्त्रित करने पर ₹ 87 करोड़ का उपभोग किया गया। वर्षवार विवरण **सारणी 5** में दिया गया है।

सारणी 5: बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय

वर्ष	बजट प्रावधान	आबंटन	व्यय	बचत
	(₹ करोड़ में)			
	राजस्व खाता			
2007-08	13.27	13.27	12.27(92)	1.00
2008-09	15.94	15.94	14.54(91)	1.40
2009-10	18.05	17.55	15.83(90)	1.72
2010-11	22.90	22.90	22.15(97)	0.75
2011-12	21.42	21.27	20.73(97)	0.54
योग	**91.58**	**90.93**	**85.52**	**5.41**
	पूंजीगत् खाता			
2011-12	1.48	1.48	1.48	शून्य
योग	**1.48**	**1.48**	**1.48**	**शून्य**
कुल योग	**93.06**	**92.41**	**87.00**	**5.41**

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण ₹ 5.41 करोड की बचत।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 32 के अनुसार बजट प्राक्कलन, स्वीकृत पदों का ध्यान दिये बिना तैनाती के सापेक्ष वेतन भत्तों पर होने वाले व्यय के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर भी, जाँच से यह परिलक्षित हुआ कि शासन ने राजस्व लेखे के अन्तर्गत वेतन भत्तों का आबंटन वास्तविक तैनाती के स्थान पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष किया था। इससे न केवल बजट मैनुअल के प्रस्तर 32 में उल्लिखित प्रावधान का उल्लंघन हुआ अपितु कुल ₹ 5.41 करोड़ की बचत हुयी जिसे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समर्पित किया गया।

पुनः उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार नियन्त्रण अधिकारी द्वारा पूर्वानुमानित सभी बचतें संज्ञान में आते ही पूर्ण विवरण तथा कारणों के साथ सचिवालय के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को तुरन्त प्रतिवेदित की जानी चाहिए। प्रस्तर 141 के अनुसार भी समस्त अन्तिम बचतें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अधिकतम 25 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य समर्पित कर दी जानी चाहिए, जबकि उक्त प्रावधान के विपरीत विभाग ने बचतों (₹ 5.41 करोड़) को, प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्यदिवस (31 मार्च) को समर्पित किया।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 5.41 करोड़ में से ₹ 2.56 करोड़ का समर्पण यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, यन्त्र–संयन्त्र इत्यादि मदों में बचतों के कारण हुआ। आगे बताया कि वेतन भत्ता शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2.85 करोड़ का समर्पण विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती न होने के कारण था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बजट प्राक्कलन स्वीकृत पदों के स्थान पर तैनाती के आधार पर किया जाना अपेक्षित था।

4.6.1.2 करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ

करेत्तर राजस्व के लक्ष्यों का निर्धारण बिना औचित्य के किया गया।

सत्यापन एवं मुद्रांकन, बाट–माप सम्बन्धी उपकरणों के शोधन, शमन प्रभार तथा बाट मापों के निर्माण एवं सुधार हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि से प्राप्त करेत्तर राजस्व प्राप्तियों को यथाशीघ्र कोषागार में जमा कराना अपेक्षित था।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि करेत्तर राजस्व के लक्ष्य का निर्धारण वर्ष में किये जाने वाले सत्यापन एवं मुद्रांकन इत्यादि के ऑकलित संख्या के आधार पर नहीं किया गया था क्योंकि न तो बाट माप के उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस तैयार किया गया था और न ही बाजार का सर्वेक्षण कराया गया था (जिस पर *प्रस्तर 4.5.1* में टिप्पणी की गयी है)। परिणामतः, 2007–12 की अवधि में लक्ष्य निम्नस्तर पर निर्धारित किया गया था तथा समीक्षा अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष इसकी प्राप्ति ₹ 6.91 करोड़ अधिक हो गयी थी। वर्षवार निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण **चार्ट 1** में दिया गया है।

चार्ट 1: करेत्तर राजस्व के लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ

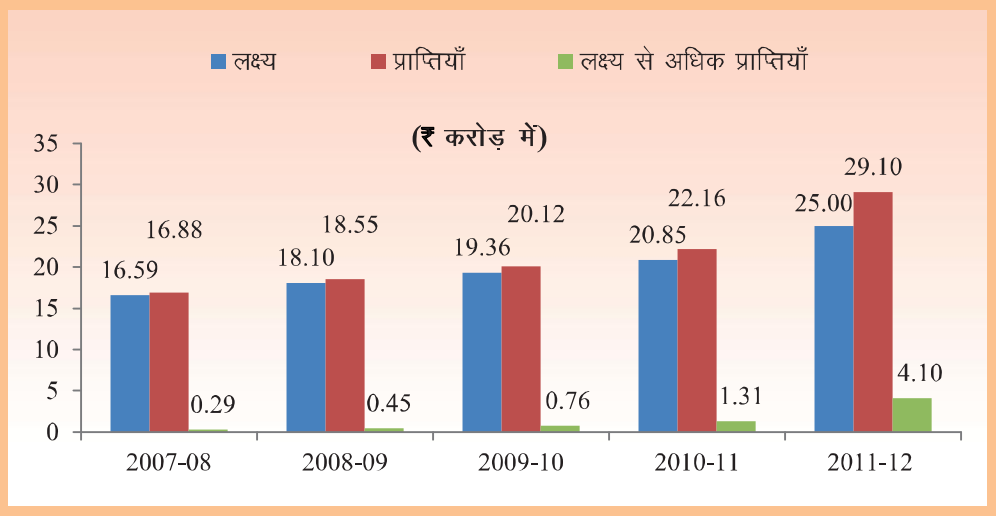

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा केवल सत्यापन, मुद्रांकन एवं निरीक्षण किये जा रहे थे। शासन ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए राजस्व लक्ष्य निर्धारित न किये जाने का सुझाव दिया था।

4.6.1.3 कोषागार प्राप्ति प्रपत्र 385 का अनुश्रवण न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–V के नियम 27 के अनुसार, विभागीय प्राप्तियों के सापेक्ष जमाकर्ताओं को निर्गत, प्रयुक्त प्राप्ति पुस्तिकाओं (प्रपत्र 385) की द्वितीय प्रति कार्यालय प्रमुख के व्यक्तिगत् अभिरक्षा/ताले में रखी जानी थी तथा उनका अभिलेखन तब तक नही किया जाना था जब तक जाँच कर यह सुनिश्चित न कर लिया गया हो कि सभी मदों जिनके लिये रसीद निर्गत की गयी थी, को उचित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत समुचित रूप में ले न लिया गया है। तथापि, वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 की अवधि में प्रयुक्त प्राप्ति पुस्तिकाओं (प्रपत्र 385) की द्वितीय प्रति वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों के पास पड़ी थी जिन्हें सहायक नियन्त्रक, जो कि कार्यालय प्रमुख थे, की व्यक्तिगत्

अभिरक्षा में रखा जाना था। यह भी पाया गया कि वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों को नयी/क्रमागत प्राप्ति पुस्तिकाएँ, बिना प्रयुक्त/द्वितीयक प्राप्ति पुस्तिका वापस लिए ही निर्गत की जा रही थी। इसके साथ ही प्रयुक्त प्राप्ति पुस्तिका के द्वारा संग्रहित प्राप्तियों को आहरण–वितरण अधिकारी की रोकड़ बही में भी अभिलेखित नहीं किया जा रहा था।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि नगद रसीदें केन्द्रों पर प्रयुक्त होती हैं अतः उन्हीं के पास रखी जाती हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन्हें उप नियन्त्रकों/सहायक नियन्त्रकों की व्यक्तिगत् अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित था तथा केन्द्रों पर रोकड़ प्राप्तियों के दुरूपयोग या चोरी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.6.1.4 रोकड़ बही का अनुचित रख–रखाव

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–V के नियम 27–अ के अनुसार, सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी शासकीय क्षमता के अधीन सभी प्राप्तियों एवं तदोपरान्त उनके कोषागार अथवा बैंक में प्रेषण के साथ–साथ कोषागार अथवा बैंक से वाउचरों या चेकों द्वारा किए गये आहरणों एवं तदोपरान्त उनके वितरण को विभिन्न स्तम्भों में अभिलेखित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में प्रपत्र 2 में सामान्य रोकड़ बही रखना चाहिए। उपरोक्त नियम यह भी उपबन्धित करता है कि माह के अन्त में रोकड़ बही में अवशेषों को वास्तविक नगद अवशेषों से सत्यापित करना चाहिए एवं धनराशि रखने हेतु उत्तरदायी कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर द्वारा रोकड़ बही में इसका प्रमाण–पत्र भी अंकित किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच किये गये 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच से परिलक्षित हुआ कि प्रयोगकर्ताओं द्वारा सीधे कोषागार में जमा की जा रही धनराशियों का अंकन रोकड़ बही में नही किया जा रहा था, प्रत्येक स्तम्भ के दैनिक अवशेष पर हस्ताक्षर नहीं थे एवं मासिक बन्दी प्रमाण–पत्र भी अभिलेखित नही किये जा रहे थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि केन्द्रों पर रखी जा रही रोकड़ बहियों की प्रविष्टियों को कार्यालय प्रमुख के मुख्य रोकड़ बही में अभिलेखित नही किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि सभी केन्द्रों को प्रयोगकर्ताओं द्वारा सीधे कोषागार में जमा की जा रही धनराशियों का अंकन उनके रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत कर दिया गया (अगस्त 2012) है। यह भी बताया कि प्राप्तियाँ केन्द्रों पर प्राप्त होती हैं अतः केवल उन्हीं के यहाँ रखी गयी रोकड़ बही में अभिलेखित की जाती हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्भागीय प्राप्तियों एवं व्यय को वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–V के नियम 27–अ के अनुसार सम्भाग की रोकड़ बही में अभिलेखित किया जाना चाहिए था।

4.6.1.5 अत्यधिक मात्रा में रोकड़ अवशेष तिजोरी में संचित किया जाना

प्रवर्तन नियम 1990 के नियम 18(3) तथा नियन्त्रक के आदेश (सितम्बर 2008) के अनुसार केन्द्रों द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि को ₹ 2,000 से अधिक की स्थिति में या सप्ताह के अन्त में जो भी पहले हो, कोषागार में जमा कर दिया जाना अपेक्षित था। जाँच में यह पाया गया कि ₹ 2,000 की प्रावधानित सीमा से कहीं अधिक ₹ 1.75 लाख **(परिशिष्ट 4.2)** तक के अवशेष केन्द्रों की तिजोरी में संग्रहित थे। निर्धारित सीमा से अत्यधिक मात्रा में रोकड़ अवशेष तिजोरी में संचित किया जाना दुरूपयोग की खतरे से परिपूर्ण था। पुनःश्च, यह प्रचलित नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया कि नियमों के अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत (अप्रैल 2011 एवं अगस्त 2012) कर दिये गये हैं।

4.6.2 प्रवर्तन सेवाएँ

प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 11 (1) के अन्तर्गत नियन्त्रक को बाट या माप के प्रत्येक निर्माता[10], मरम्मतकर्ता[11] एवं विक्रेता[12] को अनुज्ञप्ति निर्गत करने, बाट एवं माप का सत्यापन करने, दोषपूर्ण बाट एवं माप को जब्त करने का प्राधिकार है। नियन्त्रक, अधिनियमों या नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड लगाने के लिए भी प्राधिकृत है। विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयीः

4.6.2.1 अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण न किया जाना

बाट–माप के मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 19(1) एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति, जब तक कि वह नियन्त्रक द्वारा निर्गत वैधानिक अनुज्ञप्ति न रखता हो, बाट एवं माप की तैयारी, निर्माण, मरम्मत या विक्रय या प्रदान, मरम्मत या विक्रय हेतु प्रदर्शन या संग्रहण नहीं करेगा। ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी तथा प्रावधानित शुल्क के भुगतान के पश्चात वर्ष दर वर्ष नवीनीकृत की जा सकेगी। पुनःश्च, नियम 1990 के नियम 12(5) के अनुसार, अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त होने की तिथि के तीन माह की अवधि के अन्दर यदि अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने हेतु यदि नियन्त्रक अनुमति दे देता है तो आवेदक द्वारा अनुसूची VII में उल्लिखित दर के आधे दर पर विलम्ब से नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

नियन्त्रक एवं तीन चयनित सहायक नियन्त्रकों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह परिलक्षित हुआ कि बाट एवं माप के चार निर्माताओं, 417 विक्रेताओं एवं 470 मरम्मतकर्ताओं की अनुज्ञप्तियों की वैधता 2007 से 2011 के मध्य समाप्त हो गयी थी **(परिशिष्ट 4.3)** जबकि न तो अनुज्ञप्तिधारियों ने उनकी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया और न ही विभाग ने उनके अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ की थी। विभाग ने दोषियो के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी जिससे निर्माताओं, विक्रेताओं एवं मरम्मतकर्ताओं द्वारा अवैध अनुज्ञप्तियों के प्रयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 2012) कि अनुज्ञप्तिधारियों ने उनकी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु आवेदन नही किया तथा एक वर्ष की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात ये निरस्त मान लिए जाते हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रवर्तन नियम 2011 की नियम 11(3) की शर्त 1(ई) यह उपबन्धित

---

[10] एक व्यक्ति जो बाट या माप का निर्माण, एक या अधिक भाग का निर्माण, जोड़ने के लिए उसके अन्य पुर्जे प्राप्त करता हो, दूसरो के द्वारा निर्मित पुर्जों से जोड़ता हो, दूसरो के द्वारा निर्मित या बनाये गये किसी भी पूर्ण बाट या माप पर अपना चिन्ह लगाता या लगवाता हो।

[11] एक व्यक्ति जो बाट या माप की मरम्मत एवं एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो समायोजित, सफाई, चिकना या पेंट करता हो या किसी ऐसे बाट या माप जिसे अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मानक पर खरा उतरने को सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य सेवा देता हो।

[12] एक व्यक्ति जो रोकड़, स्थगित भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए ऐसे बाट या माप के क्रय, विक्रय, आपूर्ति, वितरण सीधे अथवा अन्य प्रकार से करता हो तथा इसमे कमीशन अभिकर्ता, आयातकर्ता, निर्माता जो उनके द्वारा या विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा निर्मित कोई बाट या माप विक्रय, आपूर्ति, वितरण या अन्यथा पहुँचाता हो, भी सम्मिलित हैं।

करती है कि जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी हो, वह व्यक्ति व्यापार के समापन पर और/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने पर अनुज्ञप्ति समर्पित कर देगा।

इस प्रकार, अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त हो जाने के पश्चात भी निर्माताओं, विक्रेताओं एवं मरम्मतकर्ताओं इत्यादि द्वारा अनुज्ञप्तियों के दुरूपयोग की सम्भावना पर ध्यान रखते हुए, विभाग द्वारा निर्गत अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु एक विश्वसनीय तन्त्र का होना आवश्यक है।

4.6.2.2 बाट एवं माप का वार्षिक सत्यापन

प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 15 (एवं प्रवर्तन नियम 1990 का नियम 15) यह उपबन्धित करता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संव्यवहार मे या संरक्षण के लिए किसी बाट या माप का उपयोग कर रहा है ऐसे बाट या माप को सत्यापन[13]/पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में अथवा ऐसे स्थान मे जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस तिथि या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित है। पुनः, प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 16 यह उपबन्धित करता है कि यदि, जाँच एवं सत्यापन के उपरान्त, वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक संतुष्ट होते हैं कि बाट या माप स्थापित मानक के अनुरूप है तो उसे एक 'एक समान' चित्र से मुद्रांकित करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 17 इस सेवा के लिए शुल्क भारित करने हेतु भी उपबन्धित करता है। दोषियों को अर्थदण्ड से दण्डित करना था।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर राज्य में आच्छादित उपयोगकर्ताओं एवं वसूल किए गये शुल्क की वर्षवार स्थिति **सारणी 6** में दर्शायी गयी है।

सारणी 6: बाट एवं माप का सत्यापन

विवरण	अवधि				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सत्यापित उपयोगकर्त्ताओं की संख्या	10,12,482	9,40,919	9,79,131	9,46,709	8,10,366
वसूला गया शुल्क (₹ करोड़ में)	12.86	13.78	15.02	16.79	22.87

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

विभाग की प्रवर्तन सेवाएँ घट रही थीं।

सारणी के जाँच से वर्ष 2007–08 की तुलना में उपयोगकर्ताओं, जिनका बाट एवं माप सत्यापित किया गया था, की संख्या में कमी की प्रवृत्ति थी जबकि राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

सहायक नियन्त्रकों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि व्यापारिक संस्थाओं के बाट एवं माप के सत्यापन एवं मुद्रांकन के सम्बन्ध में केन्द्र/प्रयोगशाला स्तर पर एक पंजिका के रख–रखाव हेतु नियन्त्रक ने उपबन्धित किया (मार्च 2008) था। नमूना जाँच किये गये 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि लगभग 1.29 लाख उपयोगकर्ताओं[14] ने अपने बाट एवं माप सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये थे। निरीक्षकों ने न तो उन उपयोगकर्ताओं के परिसर में निरीक्षण किया और न ही उन्हें उपकरणों को

[13]पुनः सत्यापन (अ) समस्त बाटों, क्षमता मापकों, लम्बाई मापकों, फीता, तुला एवं काउण्टर यन्त्र के लिए 24 माह, (ब) संग्रहक टंकियों के लिए 60 माह, एवं (स) अ एवं ब में वर्णित के अतिरिक्त टैंक लारी सहित अन्य सभी बाट या मापों के लिए 12 माह की अवधि की समाप्ति पर किया जाना होगा।

[14]जिनके बारे में विभाग को पता था क्योंकि इन उपयोगकर्ताओं ने अतीत में अपने उपकरणों का विभाग द्वारा सत्यापन करा रखा था।

सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। इसकी परिणति ₹ 1.51 करोड़[15] के शुल्क की वसूली न हो पाने के रूप में हुई **(परिशिष्ट 4.4)**। इस प्रकार, अमानक बाट एवं माप के प्रयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विभाग को सत्यापन हेतु त्रुटिविहीन विधि सुनिश्चित करना चाहिये।

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 2012) कि पंजिका का रख–रखाव एक आंतरिक व्यवस्था है और किसी नियम/अधिनियम में उपबन्धित नहीं है। यह भी बताया कि विगत वर्षों में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के बाट एवं मापों के सत्यापन एवं मुद्रांकन सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों को निर्देश निर्गत कर दिये गये (अगस्त 2012) हैं।

4.6.2.3 बाट एवं माप का निरीक्षण

प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 15(6) यह उपबन्धित करता है कि विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक परिसर में वहाँ प्रयुक्त बाट एवं माप के निरीक्षण एवं जाँच हेतु जितना अधिक सम्भव हो भ्रमण करेगा। यदि उपयोगकर्ता स्थापित मानक के विरूद्ध बाट एवं माप का उपयोग करते हुये पाया गया तो उन्हे जब्त कर लेना अपेक्षित था तथा उपयोगकर्ता के अपराध को शमन भी करना था। किये गये कुल निरीक्षणों एवं पकड़े गये अपराध के प्रकरणों की वर्षवार स्थिति **चार्ट 2** में दी गयी है।

चार्ट 2: किये गये कुल निरीक्षण

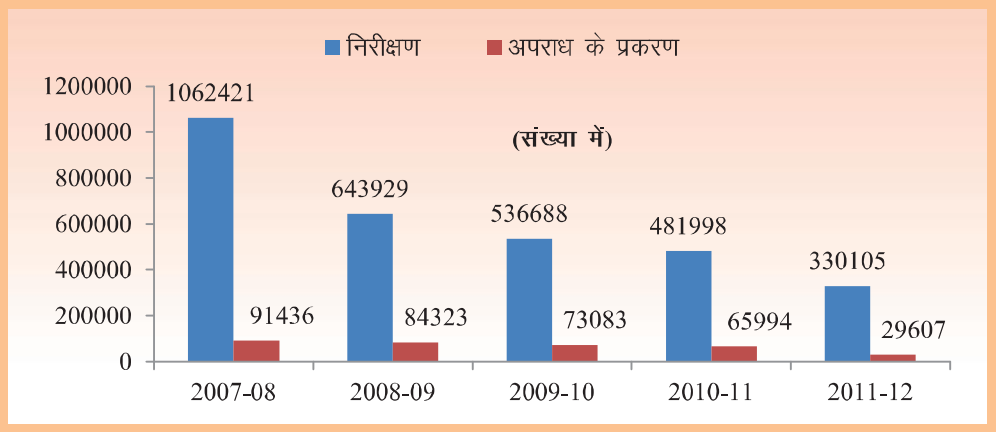

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

उपरोक्त चार्ट से वर्ष 2007–12 की अवधि में निरीक्षण एवं अपराध की पकड़ में कुल संख्या में कमी की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है जबकि निरीक्षण से अपराध के प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष सीमित भिन्नता थी।

शासन ने इसका कारण कर्मचारियों की कमी होना बताया (दिसम्बर 2012)। नियन्त्रक ने वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों के गलत प्रतिवेदन के प्रकरणों के पाये जाने को संज्ञान (जुलाई 2007) में लेते हुए बाट एवं माप के विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के मासिक निरीक्षणों हेतु मानक[16] निर्धारित किया (जुलाई 2008)। तथापि **सारणी 7** से

[15] यह मानते हुए कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास कम से कम एक–एक 5 किग्रा एवं 2 किग्रा के ₹ 15 प्रति की दर से, एक 1 किग्रा का ₹ 10 की दर से, एक–एक 500 ग्रा, 200 ग्रा, 100 ग्रा एवं 50 ग्रा ₹ 5 प्रति की दर से तथा एक तुला कुल ₹ 60 सत्यापन एवं मुद्रांकन प्रभार प्रति उपयोगकर्ता।

[16] (i) पेट्रोल पम्प/तेल डिपो/उचित दर की दुकान इत्यादि प्रति निरीक्षक 50/25 थी, (ii) डिब्बाबन्द सामग्री इत्यादि प्रति निरीक्षक 50/25 थीं, (iii) निर्माण सामग्री/धर्मकाँटा इत्यादि प्रति निरीक्षक 50 थे।

यह परिलक्षित होता है कि वर्ष 2011–12 की अवधि में सभी 12 प्रभागों के वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों में कमी आयी थी।

सारणी 7: वर्ष 2011–12 की अवधि में किये गये निरीक्षणों में कमी

बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का वर्ग	मानक के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत में)	कमी (प्रतिशत में)
पेट्रोल पम्प/तेल डिपो/उचित दर की दुकान इत्यादि	74,675	42,570 (57)	32,105 (43)
डिब्बा बन्द वस्तुएँ	75,300	61,601 (82)	13,699 (18)
भवन सामग्री/धर्मकाँटा इत्यादि	86,850	43,679 (50)	43,171 (50)

(**स्रोत:** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

इसके अतिरिक्त, किसी भी नमूना जाँच किये गये केन्द्रों पर निरीक्षणों से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं पाये गये (अप्रैल से जुलाई 2012)। इस प्रकार, एक तरफ तो वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों में कमी पायी गयी दूसरी तरफ नियन्त्रक द्वारा संज्ञान में लेने तथा निर्देश निर्गत करने के चार वर्ष पश्चात भी निरीक्षणों से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं बनाया गया। विभाग द्वारा निरीक्षण हेतु निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (दिसम्बर 2012)।

इस प्रकार, वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2011–12 में निरीक्षणों की संख्या एवं अपराधों की पकड़ में 69 प्रतिशत एवं 68 प्रतिशत की कमी हुयी थी। साथ ही विभाग द्वारा किये गये निरीक्षणों के समर्थन में अभिलेख बनाने में शिथिलता दर्शाती है कि विभाग की प्रवर्तन सेवाएँ अपर्याप्त थी।

4.6.2.4 न्यायालय प्रकरण

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (मार्च, 2008) के अनुसार बाटों एवं मापों के अनाचार के दोषी उल्लंघनकर्ता को अर्थदण्ड से प्रशमित किया जाना था। उन प्रकरणों में, जहाँ उल्लंघनकर्ता तीन माह के अन्दर प्रतिक्रिया न करे उनके लिए न्यायालय में वाद दायर किया जाना था।

उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2007–12 की अवधि में अनाचार अपराध के 3.44 लाख चिन्हित प्रकरणों में 2.15 लाख उल्लंघनकर्ताओं ने अर्थदण्ड का भुगतान किया जबकि शेष (1.48 लाख) उल्लंघनकर्ताओं के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद दायर किया गया।

न्यायालय में दायर किये गये प्रकरणों एवं न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का वर्षवार विवरण **सारणी 8** में दिया गया है।

सारणी 8: न्यायालय में दायर एवं निर्णीत प्रकरणों की वर्षवार संख्या

वर्ष	दायर प्रकरण	निर्णीत प्रकरण	वर्षान्त शेष प्रकरण
2007-08	39,941	36,582	54,279
2008-09	37,402	33,485	58,196
2009-10	30,452	31,328	57,320
2010-11	23,035	26,560	53,794
2011-12	16,811	20,472	50,133

(स्रोतः नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

सारणी से यह विदित है कि विभाग द्वारा पैरवी न करने के कारण न्यायालय में प्रकरण लम्बित थे। शासन के निर्देश (जनवरी 2008) के क्रम में निरीक्षकों/वरिष्ठ निरीक्षकों द्वारा न्यायालय प्रकरण पंजिका के अनियमित रख–रखाव के कारण प्रकरणों के लम्बित रहने की आवर्तता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यह विभाग की अप्रभावशाली अनुश्रवण एवं नियन्त्रण की कार्यपद्धति को इंगित करता है। अच्छा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर, 2012) कि न्यायालय प्रकरण पंजिका का रख–रखाव किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि न्यायालय प्रकरण पंजिका का रख–रखाव शासन के निर्देश के अनुरूप समुचित प्रारूप में नहीं किया जा रहा था जिससे न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की आवर्तता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4.6.3 क्षेत्र में संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पायी गयी कमियाँ

संबंधित जिलों के निरीक्षकों के साथ 90 धर्मकॉटों, 90 उचित दर की दुकानों, 90 ज्वेलरी दुकानों एवं 90 सामान्य व्यापारियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2012 से अगस्त 2012) किया गया था। उपरोक्त संस्थाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयीं।

4.6.3.1 प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 23(4) के अनुसार तौल यन्त्र की शुद्धता की सही जांच सुनिश्चित करने हेतु उपयोगिता तौल यन्त्र के स्थान पर यन्त्र की क्षमता के दसांश अथवा एक टन जो भी कम हो के बराबर सत्यापित एवं मुद्रांकित बाट रखेगा और उपभोक्ता तौल यन्त्र की शुद्धता की जाँच कर सकेगा।

तथापि संयुक्त सत्यापन में हमने यह पाया कि इलेक्ट्रानिक तौल यन्त्र रखने वाले 90 में से 29 धर्मकांटों, 56 में से 29 ज्वेलरी दुकानों, पाँच[17] में से दो उचित दर की दुकानों एवं 56 में से 23 सामान्य व्यापारियों के पास कोई जाँच बाट नहीं था।

जाँच बाट के न रखने से नियम की व्यवस्था का उद्देश्य विफल था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 23(4) के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की।

4.6.3.2 प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 15(1) के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये किसी बाट या माप का उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप का सत्यापन/पुनःसत्यापन विधिक माप विज्ञान अधिकारी के

[17] 90 में से 73 उचित दर की दुकानें संयुक्त निरीक्षण के दौरान बन्द पायी गयीं।

कार्यालय में अथवा ऐसे अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित है।

तथापि लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 90 में से एक धर्मकांटा, 90 में से सात ज्वेलरी की दुकान, 17 में से तीन उचित दर की दुकान एवं 90 में से 13 सामान्य व्यापारियों के बाट एवं माप असत्यापित एवं अमुद्रांकित थे।

प्रयुक्त बाटों एवं मापों के सत्यापन एवं मुद्रांकन न किये जाने से जहां अधिनियम एवं नियमों का उद्देश्य विफल हुआ वहीं विभाग को राजस्व की क्षति भी हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रवर्तन अधिनियम 2009 के प्रस्तर 24 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गयी।

4.6.3.3 सामान्य नियम 1987 के नियम 13 के अन्तर्गत सातवीं अनुसूची के शीर्षक–ए के प्रस्तर चार के अनुसार सभी तौल यन्त्रों में उत्पादनकर्ता द्वारा मुलायम धातु का एक प्लग या स्टड दिया जायेगा जिसमें सत्यापन अधिकारी की मुहर लग सके। यह प्लग या स्टड के दृश्य हिस्से में दिया जायेगा और इस तरह बनाया जायेगा जिससे मुहर को नुकसान पहुँचाये बिना निकाला न जा सके।

तथापि संयुक्त सत्यापन (जुलाई 2012 से अगस्त 2012) में यह पाया गया कि इलेक्ट्रानिक तौल यन्त्र रखने वाले 13 धर्मकाँटों, 12 ज्वेलरी दुकानों एवं 12 सामान्य व्यापारियों की मशीनों पर सत्यापन प्लेटें जुड़ी नहीं थी जैसा कि निम्न फोटो से परिलक्षित हो रहा है;

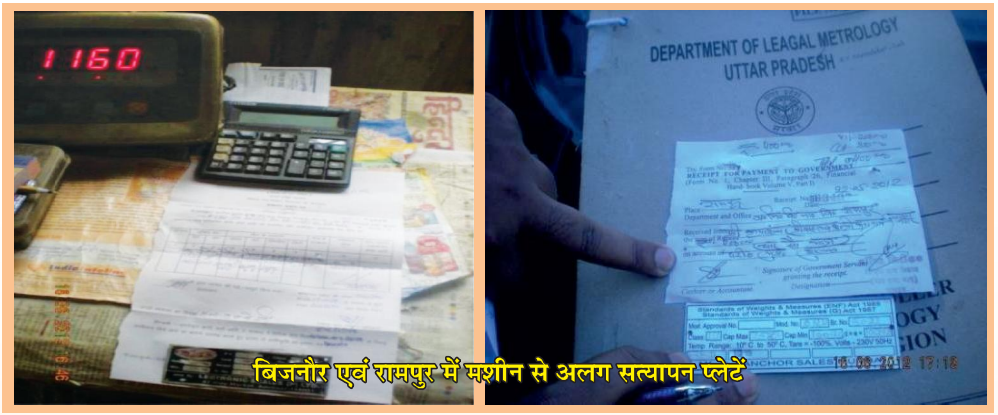

बिजनौर एवं रामपुर में मशीन से अलग सत्यापन प्लेटें

इसके परिणामस्वरुप एक मशीन की सत्यापन प्लेट की दूसरी मशीन पर दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा द्वारा मुरादाबाद में गेहूं क्रय केन्द्र पर एक ऐसा प्रकरण पाया गया जहाँ कि एमटेक मेड मशीन की सत्यापन प्लेट का प्रयोग पेसिफिक मेड मशीन पर किया गया था।

इस प्रकार प्रवर्तन क्रिया–कलाप की प्रभावशीलता से विभाग द्वारा समझौता किया गया था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रवर्तन अधिनियम, 2009 के प्रस्तर 24 के क्रम में विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ की गयी।

4.6.4 त्रुटि संकेतो के प्रति संवेदनशीलता

प्रवर्तन अधिनियम एवं नियमों को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक था कि प्रदेश, जोन, खण्ड एवं केन्द्र स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था हो जो विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले त्रुटि संकेत चिन्हित करे।

लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में आया कि:

- ऐसे प्रयोगकर्ताओं जिन्होंने अपने बाटों एवं मापों को सत्यापन एवं मुद्रांकन के लिए प्रस्तुत नहीं किया, के संज्ञान में होने के उपरान्त भी विभाग ने दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

- वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के अभिलेखन के अभाव के संज्ञान में होने के उपरान्त भी किसी स्तर पर निरीक्षण पंजिका के रख–रखाव हेतु कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया था जिसके कारण उच्चाधिकारियों को सूचित निरीक्षणों की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- निर्धारित प्रारूप में न्यायालय वाद पंजिका रख–रखाव किये जाने के नियन्त्रक के निर्देश के उपरान्त भी आवश्यक प्रविष्टियों सहित पंजिका नहीं बनायी गयी थी जिससे पुराने प्रकरणों का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

- उड़न दस्ते की स्वीकृति के उपरान्त भी उसे क्रियाशील करने हेतु आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती हेतु विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया था जिससे नियमों एवं अधिनियमों के उल्लंघन पर द्वितीय रोकथाम सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार अपनी कार्यविधि में कमी की जानकारी के उपरान्त भी कार्यविधि को कारगर बनाने हेतु विभाग ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया और इस प्रकार त्रुटि संकेतों के प्रति असंवेदनशील था।

4.7 निष्कर्ष

विभाग की अनुदेशित प्रवर्तन गतिविधियाँ *तदर्थ* आधार पर की जा रही थी क्योंकि विभाग की गतिविधियों एवं उपयोगकर्ताओं के परिसरों में निरीक्षणों इत्यादि को परिभाषित करने वाली संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। विभाग ने बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस नहीं बनाया था। मूल कार्यों के कर्मचारियों जो विभाग के प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी थे, की कमी थी। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के बावजूद केन्द्रों/प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया था तथा इसके लिए कोई कार्य योजना भी नहीं बनायी गयी थी जिसके कारण सहायता अधिकतर अप्रयुक्त रही। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि न तो आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया था और न ही अनुश्रवण तन्त्र प्रभावी था। विगत पाँच वर्षों में बाट एवं माप के अनिवार्य सत्यापन के साथ उनके प्रयोगकर्ताओं के परिसर में निरीक्षण में कमी का रुझान था तथा अत्यधिक प्रकरण निर्णय हेतु न्यायालय में लम्बित थे।

4.8 अनुशंसायें

- विभाग को बाट एवं माप के उपयोगकर्ता व्यापारिक संस्थानों का समुचित सर्वेक्षण के आधार पर डेटाबेस बनाना चाहिए जिससे उनके प्रभावी अनुश्रवण हेतु कार्य योजना बनायी एवं प्रवर्तित की जा सके;
- विभाग को केन्द्रों/प्रयोगशालाओं इत्यादि के रूप में सुदृढ़ ढाँचा विकसित करना चाहिए, केन्द्रों की स्थापना हेतु मानक विकसित करना चाहिए;
- पर्याप्त एवं प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए तथा शासकीय निधि के प्रबन्धन के लिए राजकीय वित्तीय नियमों का पूर्णरुपेण अनुपालन करना चाहिए; एवं
- उपकरणों में लगे मुद्रांकन को फेरबदल से बचाने के लिए एक विश्वसनीय तन्त्र स्थापित होना चाहिए।

(मुकेश पी सिंह)
प्रधान महालेखाकार
(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 15 अप्रैल 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 16 अप्रैल 2013